

43/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी उप. नही है। पत्रावली का आवलोकन किया गया। पत्रावली में लॉर्ड गेल्डर की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड विवादी भूमि आ. ख. नं. 1307 व 1308 वर्तमान में चरागाह भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो कि वर्तमान में प्रतिबंधित है। जिसके कारण वाडी का दावा चलाने के योग्य नही है।

अतः वाडी का दावा इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली में माल भूमाह छोड़ बाद लक्ष्मील कपूर दाखिल की जाके।



उप जिला कलक्टर
बामनवास (जिला-संभा)